

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(313)नविवि/3/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक 04 APR 2023

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर
विकास प्राधिकरण।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाडा, कोटा, उदयपुर,
श्रीगंगानगर, आबू, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर,
बाडमेर, सीकर, पाली, सवाईमाधोपुर।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
मुख्य नगर नियोजक,
नगर नियोजन विभाग,
जयपुर।

मुख्य नगर नियोजन, (एन.सी.आर)
नगर नियोजन विभाग,
जयपुर

विषय :- अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रित सम्पत्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रित सम्पत्ति के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/ 2023-25 दिनांक 10.02.2023 में प्रदत्त आदेशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(मनीष जोशी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त शासन सचिव -प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम